



वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की "विद्या परिषद्" की
दिनांक 27 मई, 2023 को सम्पन्न हुई 15वीं बैठक का कार्यवृत्त।

वीर माधों सिंह भण्डारी, उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देहरादून की विद्या परिषद् की 15वीं बैठक दिनांक 27 मई, 2023 को पूर्वाह्न 11:30 बजे विश्वविद्यालय के "पंडित नारायण दत्त तिवारी कॉन्फ्रेंस हॉल" में मा० कुलपति महोदय, वी०मा०सि०भ०उ०प्रौ०वि० की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। उक्त बैठक में निम्न मा० सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया:—

1	प्रो० आंकार सिंह, कुलपति, वी०मा०सि०भ०उ०प्रौ०वि०, देहरादून	अध्यक्ष
2	प्रो० के०के०एस० मेर, प्रभारी निदेशक, बी०टी०के०आई०टी०, द्वाराहाट	सदस्य
3	प्रो० बी०के० सिंह, निदेशक, बी०आई०ए०एस०, भीमताल, नैनीताल, उत्तराखण्ड	सदस्य
4	डॉ० प्रहलाद सिंह, निदेशक, शिवालिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, देहरादून	सदस्य
5	डॉ० यशपाल सिंह नेगी, निदेशक, एस०एच०आई०एम०टी०, नई टिहरी, उत्तराखण्ड।	सदस्य
6	प्रो० आर०पी०एस० गंगवार, प्रभारी निदेशक, कैंपस संस्थान, महिला प्रौ० संस्थान, देहरादून	विशेष आमंत्रित सदस्य
7	डॉ० संजीव नैथानी, प्रभारी निदेशक, कैंपस संस्थान, प्रौद्योगिकी संस्थान, गोपेश्वर।	विशेष आमंत्रित सदस्य
8	डॉ० हेमंत के० जोशी, कुलसचिव, कैंपस संस्थान, एनपीएसआईटी, पिथौरागढ़ (संस्थान प्रतिनिधि)	विशेष आमंत्रित सदस्य
09	श्री विक्रम सिंह जंतवाल, वित्त नियंत्रक, वी०मा०सि०भ०उ०प्रौ०वि०, देहरादून	आमंत्रित सदस्य
10	डॉ० वी०के० पटेल, परीक्षा नियंत्रक, वी०मा०सि०भ०उ०प्रौ०वि०, देहरादून	आमंत्रित सदस्य
11	डॉ० विशाल रमोला, वी०मा०सि०भ०उ०प्रौ०वि०, देहरादून	आमंत्रित सदस्य
12	डॉ० यूसरा अहमद, वी०मा०सि०भ०उ०प्रौ०वि०, देहरादून	आमंत्रित सदस्य
13	प्रो० सत्येन्द्र सिंह, कुलसचिव, वी०मा०सि०भ०उ०प्रौ०वि०, देहरादून	पदेन सदस्य सचिव

सर्वप्रथम कुलसचिव महोदय द्वारा माननीय कुलपति महोदय का आभार व्यक्त करते हुए बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यों का स्वागत किया गया एवं विश्वविद्यालय द्वारा गुणवत्तापरक शिक्षण कार्यों के संचालन हेतु किये जा रहे प्रयासों व सभी हितधारकों के सहयोग की अपेक्षा की गई। तदुपरान्त बैठक में माननीय सदस्यों के समक्ष चर्चा/अनुमोदन हेतु ऐजेण्डा बिन्दु प्रस्तुत किये गये:—

बिन्दु सं०-15.01

विद्या परिषद् की 14वीं बैठक के कार्यवृत्त सभी सदस्यों को जारी किये गये थे, जिस पर किसी सदस्य द्वारा कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है। अतः परिषद् से अनुरोध है कि विद्यापरिषद् की 14वीं बैठक के कार्यवृत्त पर अनुमोदन प्रदान करने का कष्ट करें।

विनिश्चय:—

बैठक में सर्वसम्मति द्वारा विद्या परिषद् की 14वीं बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन प्रदान किया गया।
(सलंगनक-1)

बिन्दु सं०-15.02

विद्या परिषद् की दिनांक 20 मार्च, 2023 को सम्पन्न हुई 14वीं बैठक में लिये गये निर्णयों के संबंध में कृत कार्यवाही की सूचना।

विनिश्चय:—

विद्या परिषद् के सम्मानित सदस्यों द्वारा दिनांक 20 मार्च, 2023 को सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णयों के सम्बन्ध में पूर्ण हो चुकी कार्यवाहियों हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया तथा जिन बिन्दुओं पर कार्यवाही गतिमान है, उन पर शीघ्र कार्यवाही पूर्ण कराये जाने की अपेक्षा की गयी।

बिन्दु सं०-15.03

स्ववित्त पोषित स्वरूप में संचालित 05 इंजीनियरिंग संस्थानों सहित बौन इंजीनियरिंग संस्थान उत्तरकाशी को वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कैम्पस संस्थानों के रूप में संचालित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव परिषद् के विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चय:-

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 564/2023/XLI-A65/2022 (ई 38893) तथा दिनांक 24 मई, 2023 तथा मा० तकनीकी शिक्षा मंत्री जी उत्तराखण्ड सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 15 मई, 2023 को सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त संख्या 639/XLI-A/2023-65/2022 (ई 38893) दिनांक 24 मई, 2023 में लिये गये निर्णयानुसार तकनीकी संस्थानों यथा-प्रौद्योगिकी संस्थान, गोपेश्वर, महिला प्रौद्योगिकी संस्थान, देहरादून, डॉ० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी संस्थान, टनकपुर, नन्नी परी सीमान्त प्रौद्योगिकी संस्थान, पिथौरागढ़, टी०एच०डी०सी०-आई०एच०ई०टी०, नई टिहरी तथा बौन इंजीनियरिंग कॉलेज, उत्तरकाशी का संचालन विश्वविद्यालय प्रथम विनियमावली-2018 के बिन्दु संख्या 4.04 में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार किये जाने तथा इन संस्थानों को विश्वविद्यालय का परिसर संस्थान बनाये जाने के दृष्टिगत सभी संस्थानों का संचालन विश्वविद्यालय में पूर्व से विद्यमान "अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संकाय" के अन्तर्गत किये जाने सम्बन्ध में परिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं०-15.04-

विश्वविद्यालय तथा समस्त कैम्पस संस्थानों में नियमित शिक्षकों की अनुपलब्धता/कमी के दृष्टिगत संविदा पर 11 माह की अवधि पर शिक्षक रखे जाने सम्बन्धी प्रस्ताव विद्यापरिषद् के विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चय:-

बैठक में चर्चा उपरान्त विश्वविद्यालय में संचालित पाठकों व कैम्पस संस्थानों में छात्र संख्या के आधार पर AICTE द्वारा निर्धारित छात्र-शिक्षक अनुपात 1:20 के अनुसार अनुमन्य संख्या की सीमा में शिक्षकों की कमी को पूर्णतया अस्थायी व स्ववित्तपोषित आधार पर आउटसोर्स/नियम-शर्तों (Terms & Conditions based Engagement - Short term appointment) पर 11 माह की अल्पावधि नियुक्ति, जो कि नवीनीकरण योग्य नहीं होगी, पर अस्सिस्टेंट प्रोफेसर (Short term appointment) रू० 57700.00 नियत वेतन पर रखे जाने तथा सम्बन्धित नियुक्तियों के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण नियमों (Reservation Policy) का अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं०-15.05-

विश्वविद्यालय के कैम्पस संस्थान "बौन इंजीनियरिंग कॉलेज, उत्तरकाशी" में शैक्षिक सत्र 2023-24 से अध्ययन-अध्यापन आदि अन्य शिक्षणोत्तर कार्य प्रारम्भ किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव परिषद् के विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चय:-

उत्तराखण्ड सरकार के आदेश सं० 564/2023/XLI-A65/2022(ई 38893) दिनांक 09 मई, 2023 द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में प्रौद्योगिकी संस्थान, बौन, उत्तरकाशी को वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, के कैम्पस संस्थान के रूप में संचालित किये जाने के साथ निम्न पर अनुमोदन प्रदान किया गया:-

1. संस्थान में सत्र 2023-24 से बी0टैक0 की दो विधाओं यथा B.Tech Computer Science & Engineering में 120 क्षमता तथा B.Tech Computer Science & Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) में 60 क्षमता के साथ प्रवेश देते हुये संस्था का संचालन किया जायेगा।
2. संस्था में उपलब्ध भवनों में प्रयोगशालाओं, उपकरणों की स्थापना, कक्षाओं हेतु समुचित फर्नीचर की उपलब्धता, कार्यालयों, शिक्षकों, निदेशक कक्षाओं में फर्नीचर, सेमिनार रूम आदि के साथ संस्था के संचालन हेतु सुसज्जित किया जायेगा।
3. निर्धारित क्षमता की छात्र संख्या के साथ संस्था के संचालन हेतु निदेशक के साथ-साथ शिक्षकों की उपलब्धता कराते हुये शिक्षण-प्रशिक्षण का कार्यक्रम संचालित किया जायेगा, जिस हेतु AICTE द्वारा निर्धारित मानकानुसार 1:20 के अनुपात में शिक्षकों की उपलब्धता 11 माह के Short term appointment जो कि नवीनीकरण योग्य नहीं होगा पर कराने हेतु शिक्षकों को आउटसोर्स/नियम-शर्तों (Terms & Conditions based Engagement - Short term appointment) के माध्यम से रखते हुये संचालन किया जायेगा।
4. संस्थान में निदेशक की तैनाती हेतु तदर्थ व्यवस्था स्वरूप नियमित नियुक्ति होने तक प्रमारी निदेशक नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किया जायेगा।

बिन्दु सं0-15.06-

विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किये जाने वाले आगामी दीक्षांत समारोह में मानद उपाधि प्रदान किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव परिषद् के विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चय:-

बैठक में चर्चा उपरान्त विश्वविद्यालय अधिनियम-2005 तथा प्रथम विनियमावली-2018 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत उत्कृष्ट "प्राविधिक शिक्षा" व विज्ञान और "टैक्नोलॉजी" में योगदान देने वाले व्यक्तियों को मानद उपाधि प्रदान किये जाने तथा इस कार्य हेतु तीन-तीन नाम का पैनल डी.लिट. व डी.एस.सी. हेतु निर्धारित किये जाने पर विद्यापरिषद् द्वारा विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति को नाम तय करने हेतु अधिकृत करते हुए मानद उपाधि दिये जाने की कार्यवाही करने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं0-15.07-

विश्वविद्यालय कैंपस संस्थानों द्वारा लिये जा रहे शिक्षण शुल्क में एकरूपता लाये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव परिषद् के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चय:-

बैठक में निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय के कैंपस संस्थानों द्वारा लिये जा रहें शिक्षण शुल्क में एकरूपता लाये जाने दृष्टिगत सभी कैंपस संस्थानों हेतु शिक्षण शुल्क रू0 75000/- वार्षिक (अन्य शुल्क अतिरिक्त) निर्धारित किये जाने तथा विश्वविद्यालय में संचालित बी0टैक0 व बी0फार्म0 पाठ्यक्रमों हेतु अन्य अतिरिक्त शुल्क User Charges तथा Other Charges सलंगनक-2 के अनुसार रखे जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही यही User Charges तथा Other Charges अन्य सभी कैंपस संस्थानों में भी सत्र 2023-24 में नये प्रवेशार्थियों पर लागू किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

उक्त के साथ ही आवश्यकतानुसार प्रत्येक संस्थान में शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त लिये जाने वाले अन्य शुल्क का निर्धारण संस्था के निदेशक के प्रस्ताव पर कुलपति के स्तर से अनुमोदित किये जाने पर भी विद्यापरिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।



बिन्दु सं०-15.08-

विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षिक सत्र 2023-24 से संचालित बी०टैक० (कम्प्यूटर साइंस) पाठ्यक्रम में सीट क्षमता में वृद्धि किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव परिषद् के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चय:-

बैठक में चर्चा उपरान्त वर्तमान आवश्यकताओं के दृष्टिगत विश्वविद्यालय के फ़ैकल्टी ऑफ़ टेक्नोलॉजी में स्ववित्त पोषित आधार पर शैक्षिक सत्र 2023-24 से संचालित किये जाने वाले बी०टैक० कम्प्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग (B.Tech Computer Science & Engg.) की 60 सीट क्षमता को बढ़ाकर 120 किये जाने पर विद्यापरिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं०-15.09-

विश्वविद्यालय कैंपस संस्थान महिला प्रौद्योगिकी संस्थान, देहरादून व अन्य परिसर संस्थानों व विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं हेतु एन०सी०सी० (National Cadet Corps) व एन०एस०एस० (National Service Scheme) की शाखा स्थापित किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव परिषद् के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चय:-

बैठक में चर्चा हुई। विश्वविद्यालय एवं इसके कैंपस संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं हेतु एन०सी०सी० (National Cadet Corps) व एन०एस०एस० (National Service Scheme) की शाखा स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में अनुमोदन प्रदान किया गया। विद्यापरिषद् द्वारा यह भी अपेक्षा की गयी कि विश्वविद्यालय से सम्बद्ध निजी संस्थानों में भी एन०सी०सी० (National Cadet Corps) व स्ववित्त पोषित आधार पर एन०एस०एस० (National Service Scheme) की शाखा छात्र/छात्राओं हेतु संचालित किये जाने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय स्तर पर सभी सम्बद्ध संस्थानों को सूचित किया जाये तथा सम्बद्ध संस्थान स्तर पर भी उक्त के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।

बिन्दु सं०-15.10-

विश्वविद्यालय के कैंपस संस्थानों में बी०टैक० (कम्प्यूटर साइंस व इंजीनियरिंग) पाठ्यक्रम में सीट क्षमता में वृद्धि (अतिरिक्त सैक्शन-60 सीट) किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव परिषद् के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चय:-

बैठक में चर्चा हुई। विश्वविद्यालय के कैंपस संस्थानों यथा- महिला प्रौद्योगिकी संस्थान, देहरादून, टी०एच०डी०सी०-आई०एच०ई०टी०, नई टिहरी, डॉ० ए०पी०जे०ए०के०आई०टी०, टनकपुर, आई०टी० गोपेश्वर द्वारा संचालित बी०टैक० (कम्प्यूटर साइंस व इंजीनियरिंग) पाठ्यक्रम में शैक्षिक सत्र 2023-24 से प्रत्येक संस्था में सीट क्षमता में 60 सीट की वृद्धि (अतिरिक्त सैक्शन-60 सीट) तथा नन्ही परी सीमान्त तकनीकी संस्थान, पिथौरागढ़ में बी०टैक० (कम्प्यूटर साइंस व इंजीनियरिंग) की 120 सीट की क्षमता वृद्धि किये जाने हेतु विद्यापरिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं०-15.11-

विश्वविद्यालय में Academic Staff Development Center स्थापित किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव परिषद् के विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चय:-

बैठक में चर्चा हुई। विश्वविद्यालय के कैंपस संस्थान व सम्बद्ध संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों की शिक्षण क्षमता की गुणवत्ता बढ़ाये जाने की आवश्यकता दृष्टिगत विश्वविद्यालय द्वारा केन्द्रीयकृत रूप से Academic Staff Development Centre की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में विद्यापरिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं०-15.12-

विश्वविद्यालय के कैंपस संस्थान टी०एच०डी०सी०-आई०एच०ई०टी०, नई टिहरी में पूर्णकालिक व अंशकालिक M.Tech (Hydro & Renewable Energy) 18 सीट क्षमता प्रत्येक के साथ प्रारम्भ किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव परिषद् के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चय:-

बैठक में चर्चा उपरांत विश्वविद्यालय के कैंपस संस्थान टी०एच०डी०सी०-आई०एच०ई०टी०, नई टिहरी में M.Tech (Hydro & Renewable Energy) 18 सीट क्षमता के साथ पूर्णकालिक पाठ्यक्रम (अवधि-02 वर्ष) एवं अंशकालिक पाठ्यक्रम (अवधि-03 वर्ष) यह भी अनुमोदित किया गया कि विश्वविद्यालय के एम०टैक० पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित शुल्क के समान पूर्णकालिक एम०टैक० का शुल्क व अंशकालिक एम०टैक० हेतु विश्वविद्यालय के अंशकालिक एम०बी०ए० के समान शिक्षण शुल्क के साथ संदर्भित एम०टैक० को प्रारम्भ किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं०-15.13-

विश्वविद्यालय के कैंपस संस्थानों में अतिथि व्याख्याता को विश्वविद्यालय में प्रचलित रू० 1000/- प्रति पीरियड की दर से रू० 35000/- की सीमा तक भुगतान किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव परिषद् के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चय:-

बैठक में चर्चा के उपरान्त सभी कैंपस संस्थानों में विश्वविद्यालय में प्रचलित रू० 1000/- प्रति पीरियड व अधिकतम रू० 35000/- प्रति माह की दर से अतिथि व्याख्याता आबद्ध करने सम्बन्धी प्रस्ताव अनुमोदित।

बिन्दु सं०-15.14-

विश्वविद्यालय में UTU Centre for Hemp Processing Technology Development स्थापित किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव गा० परिषद् के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चय:-

बैठक में चर्चा के उपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा "UTU Centre for Hemp Processing Technology Development" स्थापित करने सम्बन्धी प्रस्ताव अनुमोदित।

बिन्दु सं०-15.15-

विश्वविद्यालय की शैक्षिक गतिविधियों को संचालित किये जाने के सम्बन्ध में शैक्षिक सत्र 2023-24 हेतु तैयार किये गये Academic Calender गा० परिषद् के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चय:-

विद्या परिषद् द्वारा शैक्षिक सत्र 2023-24 के एकेडमिक कैलेंडर अनुमोदित किया गया (सालगनक-3)। एकेडमिक कैलेंडर में आगामी आकस्मिकताओं के दृष्टिगत आवश्यकतानुसार वांछित संशोधन करने हेतु विद्या परिषद् द्वारा माननीय कुलपति को अधिकृत किया गया।

बिन्दु सं०-15.16-

शैक्षिक सत्र 2023-24 में विश्वविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही विद्यापरिषद् के सूचनार्थ व अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चय:-

बैठक में चर्चा हुई। विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षिक सत्र 2023-24 में सभी सम्बद्ध संस्थानों, स्वायत्तशासी संस्थानों, परिसर संस्थानों एवं कॉलेज ऑफ़ टेक्नोलॉजी, गोबिन्द बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ़ एग्रीकल्चर एण्ड टेक्नोलॉजी, पंतनगर में संचालित पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय प्रवेश समिति के निर्णयानुसार पंजीकरण एवं काउंसलिंग कार्यक्रम तैयार करके पूर्व प्रचलित व्यवस्थानुसार विभिन्न चरणों में ऑनलाईन काउंसलिंग कराते हुए एकल खिड़की व्यवस्था के अन्तर्गत सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं०-15.17-

विश्वविद्यालय के कैम्पस संस्थानों के लोगो, पैड, बोर्ड, वेबसाईट आदि पर परिवर्तन किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव विद्यापरिषद् के विचारार्थ व अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चय:-

बैठक में चर्चा हुई। विद्यापरिषद् द्वारा विश्वविद्यालय के संचालित 5 कैम्पस संस्थानों के लोगो, पैड, बोर्ड, वेबसाईट आदि पर आवश्यकतानुसार परिवर्तन किये जाने तथा प्रौद्योगिकी संस्थान बौन, उत्तरकाशी हेतु नये लोगो, पैड, बोर्ड आदि तैयार कर (सलंगनक-4 के अनुसार) लागू किये जाने के सम्बन्ध में अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि सभी कैम्पस संस्थानों में आयोजित किये जाने वाले प्रत्येक कार्यक्रम का शुभारम्भ विश्वविद्यालय "कुलगीत" से सराम्मान किया जाये।

बिन्दु सं०-15.18

आई0एम0ए0, देहरादून के सभी Graduate Gentlemen Cadets जो आई0एम0ए0, देहरादून में द्वितीय एवं तृतीय अवधि का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे है, हेतु विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किये गये PG Diploma in Military Studies and Defence Management पाठ्यक्रम के अन्तर्गत द्वितीय सेमेस्टर में अध्ययनरत छात्रों को विश्वविद्यालय स्तर पर प्रदत्त नामांकन संख्या तथा एच0एन0बी0जी0यू0, गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा सम्बन्धित छात्रों को प्रथम सेमेस्टर में प्रदत्त नामांकन संख्या को विश्वविद्यालय अंकतालिका व उपाधि में संयुक्त रूप से इंगित किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव विद्यापरिषद् के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चय:-

बैठक में विस्तृत चर्चा उपरांत छात्रहित दृष्टिगत आई0एम0ए0, देहरादून के सभी Graduate Gentlemen Cadets जो विश्वविद्यालय में PG Diploma in Military Studies and Defence Management पाठ्यक्रम में अध्ययनरत है, विश्वविद्यालय स्तर पर प्रदत्त नामांकन संख्या तथा एच0एन0बी0जी0यू0, गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा सम्बन्धित छात्रों को प्रथम सेमेस्टर में प्रदत्त नामांकन संख्या को विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत की जाने वाली अंकतालिका व उपाधि में संयुक्त रूप से इंगित किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं०-15.19

माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य मद।

बिन्दु सं०-15.19 (1)

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्थान में संचालित Pharm.D : The duration of the course shall be six academic years (five years of study and one year of internship or residency) एवं Pharm.D. (Post Baccalaureate): The duration of the course shall be for three academic years (two years of study and one year internship or residency) पाठ्यक्रमों में समयावधि निर्धारित किये जाने पर चर्चा एवं अनुमोदन।

विनिश्चय:-

चर्चा हुई। विश्वविद्यालय Ordinance में Pharm.D & Pharm.D. (Post Baccalaureate) कोर्स को पूर्ण करने की अधिकतम समय (अवधि) की व्यवस्था का उल्लेख न होने के कारण विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्थानों में संचालित Pharm.D. पाठ्यक्रम को पूर्ण करने की अधिकतम समयावधि 09 वर्ष एवं Pharm.D. (Post Baccalaureate) पाठ्यक्रम की पूर्ण करने की अधिकतम समयावधि 03 वर्ष निर्धारित किये जाने पर विद्या परिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।



बिन्दु सं०-15.19 (2)

तुलोज इंस्टीट्यूट, देहरादून के कतिपय एम0टैक0 छात्रों, जिनका पंजीकरण सत्र 2020-21 में हुआ था, के विगत में करायी गयी ऑनलाईन परीक्षा के परीक्षाफल विलम्ब से घोषित होने के कारण Odd Semester के Carry over विषयों की जनवरी-फरवरी, 2023 में सम्पन्न Special Carry Over की परीक्षा से वंचित रह गये हैं एवं इनकी 2022-23 में निर्धारित अवधि की समय-सीमा समाप्त हो गयी है, सम्बन्धी प्रस्ताव मा0 परिषद् के निर्णयार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चय:-

चर्चा हुई। विश्वविद्यालय एम0टैक0 आर्डिनेन्स (M.Tech. Ordinance) के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्बन्धित छात्रों को अपना पाठ्यक्रम शैक्षिक सत्र 2023-24 तक पूर्ण किये जाने तथा छात्रहित दृष्टिगत ऐसे छात्रों को 01 वर्ष समयावधि विस्तार दिये जाने पर विद्यापरिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं०-15.19 (3)


पी0एच0डी0 पाठ्यक्रम के अन्तर्गत सत्र 2023-24 से विश्वविद्यालय के परिसर संस्थानों हेतु Research cum Teaching Fellowship Scheme के अन्तर्गत एवं बिना फेलोशिप के विभिन्न विषयों में प्रवेश दिये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव मा0 परिषद् के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विनिश्चय:-

बैठक में चर्चा उपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पी0एच0डी0 पाठ्यक्रम के अन्तर्गत सत्र 2023-24 से विश्वविद्यालय के परिसर संस्थानों हेतु Research cum Teaching Fellowship Scheme के अन्तर्गत एवं बिना फेलोशिप के उपलब्ध विषयों में प्रवेश दिये जाने हेतु विषयवार सीटों की सालगन सूची (सालगनक-5) अनुसार विभिन्न विषयों में प्रवेश दिये जाने के सम्बन्ध में विद्यापरिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

अंत में सभी सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक का समापन किया गया।


(प्रो० सत्येन्द्र सिंह)
कुलसचिव


(प्रो० ओंकार सिंह)
कुलपति